केंद्रीय पदाधिकारी बैठक

भारतीय जनता पार्टी

6 अक्टूबर, 2020

प्रस्ताव

नए भारत में 'अटकाना, लटकाना और भटकाना' की परम्परा समाप्त

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल कई ऐतिहासिक निर्णयों से भरा है। इस कार्यकाल में दशकों से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए कई अभूतपूर्व फैसले लेकर प्रधानमंत्री जी ने देश को विश्वास दिलाया है कि प्रबल इच्छाशक्ति और दृढ़ निश्चय से कठिन से कठिन संकल्पों की सिद्धि की जा सकती है। करीब 500 वर्ष से लंबित अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण का मामला हो, 70 वर्ष पुराना अनुच्छेद 370 समाप्त करने का मुद्दा हो, नागरिकता संशोधन कानून हो, तीन तलाक जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करना हो या सिख धर्म के अनुयायियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत करनी हो, ऐसी दशकों से लंबित समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण ही हो सका है। नए भारत के भविष्य को सशक्त करने की दिशा में बढ़ते हुए 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी में भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। इन सारे निर्णयों ने पुरानी कांग्रेस सरकारों के अटकाने,

लटकाने और भटकाने की संस्कृति को भी बेनकाब कर दिया और जनहित में त्वरित निर्णय लेने वाली और उनके क्रियान्वयन को समयबद्ध तरीके से सम्पन्न करने वाली सरकार की परिकल्पना को साकार किया है। राष्ट्रहित में दशकों से लंबित समस्याओं का समाधान निकालकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए हम प्रधानमंत्री जी का कोटि-कोटि अभिनंदन करते हैं।

कोरोना महामारी और चक्रवाती तूफान का डटकर मुकाबला

वैश्विक महामारी कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बेबस कर दिया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सही समय पर लिए गए निर्णायक फैसलों से जहां देशवासियों का जीवन सुरक्षित हो सका, वहीं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी फैसले लिए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाए गए कदमों का नतीजा यह रहा कि भारत में अन्य देशों की तुलना में कोविड महामारी के कारण मृत्यु दर सबसे कम और रिकवरी रेट सबसे अधिक रहा। आज भारत का रिकवरी रेट 84.34% तक पहुंच गया है, वहीं मृत्यु दर 1.55% है।

माननीन प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद भारत ने आपदा को अवसर में बदलने का प्रण लिया। परिणामस्वरुप जहां हम लॉकडाउन से पहले पीपीई किट, फेस मास्क और वेंटीलेटर्स के आयात पर निर्भर थे, वहीं आज हम इन्हें दुनिया के दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। आज प्रतिदिन 5 लाख से अधिक पीपीई किट्स और करीब 5 लाख फेस मास्क का देश में उत्पादन हो रहा है। देश में कोरोना की टेस्टिंग लैब की संख्या एक से बढ़कर 1,800 के पार पहुंच गई है और टेस्टिंग क्षमता 1,500 प्रतिदिन से बढ़कर करीब 12 लाख प्रतिदिन तक पहुंच गई है। देश में लॉकडाउन लागू होते समय एक भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं थे जबकि आज लगभग 1,400 से अधिक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल कार्यरत हैं। देश में आज डेडिकेटेड कोविड बेड्स की संख्या भी लगभग 12 लाख से अधिक है।

कोरोना महामारी के साथ ही अन्य प्राकृतिक आपदाओं की दोहरी मार झेल रहे भारत के एक बड़े भूभाग, विशेषकर तटीय प्रदेशों में आए चक्रवाती तूफान अंफान के समय भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने राहत एवं बचाव के लिए त्वरित कार्रवाई की। इन राज्यों में तत्काल सहायता पहुंचाकर प्रभावित लोगों को बड़ा संबल प्रदान किया और राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया। कोरोना काल की विवशताओं के बावजूद प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तूफान प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति की समीक्षा की थी।

जरुरतमंदों को दिया सहारा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लॉकडाउन अवधि में हर जरुरतमंद तक आवश्यक मदद पहुंचाने का बीड़ा उठाते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। कठिन समय में देश के

80 करोड़ गरीबों को समुचित भोजन सुनिश्चित करने के लिए मार्च से नवंबर तक के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लॉकडाउन की अवधि में भारतीय मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की गई। 1 मई से 9 जुलाई तक कुल 4,615 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, जिसके जरिये 63 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान घर तक पहुंचाया गया। विदेशों में कार्यरत भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई। पूरे विश्व में अपने देशवासियों को घर लाने के लिए किसी भी देश ने इतना बड़ा अभियान नहीं चलाया। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 14 लाख से अधिक भारतीयों को वापस लाया जा चुका है।

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देशवासियों का जीवन सुगम बनाने के साथ ही, मानवता की सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। भारत ने कोरोना से प्रभावित दुनिया के करीब 150 से अधिक देशों को दवाइयों की आपूर्ति की और कई देशों को मेडिकल सहायता भी पहुंचाई।

प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक फैसलों और देशवासियों के दृढ़ संकल्प से जहां भारत कोरोना संकट का डटकर मुकाबला कर रहा है, वहीं विपक्ष ने लॉकडाउन अवधि में भी देश की जनता को गुमराह कर उनका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री जी पर देशवासियों के अटूट विश्वास के चलते देश की जनता ने विपक्ष की सुनियोजित साजिशों को भी नाकाम किया। कोरोना संक्रमण के बावजूद देश को एकजुट कर सशक्त नेतृत्व प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त करने हेतु भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती है।

चीन की विस्तारवादी नीतियों को मुंहतोड़ जवाब

अपनी विस्तारवादी नीतियों और कोरोना संक्रमण के लिए बदनाम चीन ने पुराने सैन्य समझौते का उल्लंघन करते हुए पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अतिक्रमण की कोशिश की जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, देश की अखंडता और संप्रभुता अक्षुण्ण रखने के लिए सही समय पर लिए गए निर्णयों और हमारी सेना के अप्रतिम शौर्य ने विफल किया। इस कठिन समय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वयं निमू (लद्दाख) जाकर जांबाज सैनिकों की वीरता एवं उनके शौर्य को नमन करते हुए उनमें ऊर्जा एवं जोश का नया संचार किया। साथ ही, सेना को उचित कार्रवाई की खुली छूट भी दी गई। प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हुए एक ओर जहां सब को विश्वास में लिया तो दूसरी ओर रक्षा मंत्री जी ने संसद के दोनों पटलों पर सरकार का पक्ष स्पष्ट

किया। डोकलाम और पूर्वी लद्दाख, दोनों मुद्दों पर भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से परिपक्वता दिखाते हुए परिस्थितयों को संभाला, उसकी पूरी दुनिया में सराहना की गई। भारत के पक्ष को वैश्विक स्वीकार्यता मिली, साथ ही भारत ने चीन की विस्तारवादी नीति का मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प और दृढ़ किया। प्रधानमंत्री जी की रणनीतिक और कूटनीतिक कुशलता का ही परिणाम है कि चीन आज विश्व पटल पर अलग-थलग हो गया है। देश को सशक्त, समृद्ध और निर्णायक नेतृत्व प्रदान करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले चीन के सभी Apps को भारत में बंद कर एक कठोर संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद देती है।

इस कठिन समय में भी विपक्ष ने देश को एकजुट करने और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की बजाए सेना के शौर्य पर प्रश्नचिह्न लगाने की, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, धारा 370 का उन्मूलन हो, डोकलाम हो या पूर्वी लद्दाख में चीन की ओर से अतिक्रमण करने की नापाक कोशिश। कांग्रेस और कुछ विपक्षी पार्टियों ने हर समय देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए देश को ही कमजोर करने की साजिश रची। कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं के इन कारनामों से खुश होकर पाकिस्तान से लेकर चीन तक ने इनकी तारीफों के पुल बांधे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता को भली-भांति ज्ञात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की एक-एक इंच भूमि सुरक्षित है। हिंदुस्तान की जनता ने देश के खिलाफ खड़े ऐसे नेताओं और ऐसी पार्टियों को हमेशा ही करारा जवाब दिया है, दे रही है और आगे भी देती रहेगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

12 मई 2020 को रात 8 बजे संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपये की निधि से 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का शुभारंभ किया था। चरणबद्ध तरीके से हर सेक्टर को स्पर्श करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने की इस मुहिम की शुरुआत की गई थी। यह एक ऐसी सर्वस्पर्शी संकल्पना को जमीन पर उतारने का अभियान था, जिसने 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को सशक्तिकरण का अवसर दिया है। इसके साथ ही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'वोकल फॉर लोकल' अभियान की शुरुआत करते हुए लोकल उत्पादों के लिए बड़ा प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराने का मंच तैयार किया। 1.70 हजार करोड़ रुपये के गरीब कल्याण पैकेज से जहां देश के समस्त गरीबों को सहायता पहुंचाई गई, वहीं 50 हजार करोड़ रुपये की निधि से प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना भी आरंभ की गई। इन सब उपायों ने न केवल देश के असली आर्थिक तंत्र को गति दी, वहीं देश के गरीबों, किसानों और मजदूरों का भी सशक्तिकरण किया।

कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार

भारत ने निर्बाध कृषि से लेकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने तक का लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन

कृषि की बेहतरी और किसानों की उन्नति की दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत थी। कृषि के आधारभूत ढांचे के पारिस्थितिकी-तंत्र के विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। किसान को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज को बेचने के लिये पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराने, निर्बाध अंतर्राज्यीय व्यापार, कृषि उत्पादों की ई-ट्रेडिंग के लिये एक रूपरेखा बनाने की दिशा में कृषि सुधारों की तत्काल जरूरत थी। प्लानिंग कमीशन, स्वामीनाथन कमेटी, शरद जोशी कमेटी, संसदीय पैनलों सहित कई समितियों ने भी अपनी रिपोर्टों पर कृषि सुधारों की जरूरत पर बल दिया था। 2014 में देश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन सुधारों को एक-एक करके आगे बढ़ाना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी को डेढ़ गुना बढ़ाने की दिशा में त्वरित पहल की और कई फसलों की एमएसपी को डेढ़ गुना से भी अधिक बढ़ाया। स्वयं स्वामीनाथन जी ने उस समय एक आलेख में मुक्त कंठ से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों को सराहनीय कदम बताते हुए कहा था कि उनके स्वप्न को अगर किसी ने पंख दिया है तो केवल श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ही दिया।

13 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा का सुरक्षा कवच दिया गया, लगभग 16.38 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिया गया, कृषि के ढांचागत सुधारों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु एक लाख करोड़ रुपये का अलग से आवंटन किया गया और 10 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 94 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। आपदा से फसल के नुकसान का पैमाना बदला गया और मुआवजे को भी बढ़ाया गया। इन उपायों का यह तत्काल लाभ हुआ कि देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। इस सब क़दमों को उठाने के पश्चात कृषि सुधारों के बिल को ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया। इस पर एक वृहत परिचर्चा के पश्चात लोकतांत्रिक तरीके से ये विधेयक संसद से पारित हुए और महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से अब ये क़ानून बन चुके हैं। इन विधेयकों ने किसानों को सशक्त करते हुए देश में 'वन नेशन, वन मार्केट' (One Nation, One Market) की अवधारणा को चरितार्थ किया है।

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में मील के पत्थर हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए-नए अवसर मिलेंगे जिससे उनकी आय बढ़ेगी। पहले मंडियों में किसानों को मल्टीपल टैक्स देना पड़ता था, अब किसानों को अपनी फसल बेचने की आजादी मिली है। किसानों के पास मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने की विवशता नहीं होगी। वे देश में कहीं भी, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिकली भी अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने

किसानों को कर-मुक्त और स्वाबलंबन-युक्त बनाया है। किसान अब बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का भी लाभ ले सकेंगे। वास्तव में ये विधेयक किसानों को अपनी फसल के भंडारण और बिक्री की आजादी देते हुए उन्हें बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करेंगे। किसानों को फसल बेचने की आजादी देने की अनुशंसा पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, शरद पवार जी और शरद जोशी कमेटी ने भी की थी। तमाम अर्थशास्त्रियों ने भी इसकी वकालत की थी लेकिन यदि इन कृषि सिफारिशों को अमलीजामा पहनाने का प्रयास सार्थक तरीके से किसी ने किया है तो वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ही हैं। इसी प्रकार, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा, किसान मजबूत होंगे और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इससे अति-आवश्यक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की सुविधा में भी बढ़ोत्तरी होगी। इससे उत्पाद, उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण व आपूर्ति की आजादी मिलेगी और बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे खाद्यान्न, दलहन इत्यादि की शॉर्टेज भी नहीं रहेगी। कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 के माध्यम से स्वतंत्र किसान-सशक्त किसान की अवधारणा साकार होगी। भूमि का मालिकाना हक़ रखने वाले किसान और कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स बिना किसी रिस्क के अब काम कर पायेंगे, इससे उत्पादन और बढ़ेगा। देश भर में 10 हजार FPOs का निर्माण करके किसानों को अधिक से अधिक लाभ कैसे पहुंचाया जाय, इसकी दिशा में मोदी सरकार काफी तेजी से काम कर रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हाल ही में 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा था कि गांव, किसान और देश का कृषि क्षेत्र 'आत्मनिर्भर भारत'के आधार हैं और और ये जितने मजबूत होंगे आत्मनिर्भर भारत की नींव भी उतनी ही मजबूत होगी। इसकी मजबूती के लिए प्रधानमंत्री जी लगातार समर्पित भाव काम कर रहे हैं। पिछली शताब्दी के नियमों व कानूनों से अगली शताब्दी में नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए समाज और व्यवस्थाओं में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री जी के ये कदम काफी सराहनीय और दूरगामी हैं। वर्ष 2014 के बाद से ही किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी विजन के साथ कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु कई योजनाओं को उन्होंने लागू किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ही हैं जिन्होंने किसानों के लिए भी पेंशन का प्रावधान किया। कृषि और किसानों की भलाई की इसी कड़ी में कृषि क्षेत्र से सबंधित ये तीनों क़ानून एक विशाल परिवर्तक के तौर पर सिद्ध होने जा रहे हैं जिससे कृषि एवं किसान, दोनों का भला होगा। कृषि एवं आमूल-चूल परिवर्तन लाने और आजादी के बाद पहली बार समर्पित भाव से किसानों की भलाई के लिए उठाये गए हर कदम के लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं।

विपक्ष का संसद में गतिरोध और जनता को गुमराह करने का प्रयास

कृषि सुधारों पर विपक्ष कोरी राजनीति कर किसानों को गुमराह करने की साजिश कर रही है। विपक्ष

द्वारा कृषि सुधारों का विरोध सुनियोजित और तर्कों से परे है। बस विरोध के नाम पर विरोध की राजनीति की जा रही है। 2013 में राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के शासन वाले राज्य अपने यहां फल और सब्जियों को APMC एक्ट से बाहर करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी ही APMC एक्ट में बदलाव का विरोध कर रही है। चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि वह APMC एक्ट को बदल देगी, किसान के ट्रेड पर कोई टैक्स नहीं होगा और अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। अब कांग्रेस अगर इन विधेयकों का विरोध कर रही है तो उसे पहले अपने घोषणा पत्र से मुकरने की घोषणा करनी चाहिए। कांग्रेस ने APMC Act को हटाने की बात की थी लेकिन इन विधेयकों के अनुसार APMC की व्यवस्था बनी रहेगी और उसी तरह काम करती रहेगी। संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष के किसी भी सदस्य ने विधेयकों के किसी प्रावधान का विरोध नहीं किया बल्कि उनके भाषण उन सब बातों पर केंद्रित रहा जो विधेयक में थे ही नहीं और जिनका इन विधेयकों से संबंध ही नहीं। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल देश के किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि सुधार विधेयकों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बार-बार कह चुके हैं कि देशभर में MSP की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कृषि मंत्री जी ने भी यह स्पष्ट किया है कि एमएसपी था, है और रहेगा। इतना ही नहीं, कई फसलों की MSP तो और बढ़ा दी गई है। पहली बार सितंबर माह में ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी को घोषित किया। इतना ही नहीं, रबी फसलों की एमएसपी में भी काफी वृद्धि की गई। वास्तव में इन विधेयकों का एमएसपी और एपीएमसी व्यवस्था से कोई लेना-देना ही नहीं है। कृषि सुधारों ने किसानों को बिचौलियों से आजादी दी है लेकिन इन कृषि सुधारों का विरोध कर कांग्रेस वास्तव में बिचौलियों के संरक्षक बन गई है। कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी साथियों ने संसद में कृषि क़ानून का विरोध करते हुए जो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई, यह केवल किसानों की भलाई का स्पष्ट विरोध था, बल्कि यह लोकतंत्र की हत्या भी थी। देश के पालनहार किसान इन विधेयकों को लेकर सकारात्मक और आशावान हैं। उन्हें इस राजनीतिक विरोध से कोई लेना-देना नहीं है।

बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक श्रम सुधार

भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक प्रमुख आयाम है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के लिए आपदा को अवसर में बदलने का संकल्प लेते हुए एक के बाद एक, कई निर्णय लिए हैं, इसके बल पर भारत भूमि एक ऐसी भूमि के रूप में प्रतिष्ठित हुई है जहां विश्व के तमाम कोने से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत आने को लालायित है। इस अवसर का उचित उपयोग करने हेतु श्रम सुधार कानूनों की घोषणा की गई ताकि उद्योगों का विस्तार हो, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने और रोजगार के बड़े अवसर का सृजन हो।

श्रम सुधार काफी समय से लंबित और बहुप्रतीक्षित थे। इससे कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म होंगी और अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को हटाने की अनुमति होगी। रोजगार सृजन के लिए यह उचित नहीं है कि इस सीमा को 100 कर्मचारियों तक बनाए रखा जाए, क्योंकि इससे नियोक्ता अधिक कर्मचारियों की भर्ती से कतराने लगते हैं और वे जानबूझकर अपने कर्मचारियों की संख्या को कम स्तर पर बनाए रखते हैं। ये विधेयक कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेंगे और भविष्य निधि संगठन (EPFO) तथा कर्मचारी राज्य निगम के दायरे में विस्तार करके श्रमिकों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। कुल श्रमिकों में महिलाएं की भी खासी संख्या है अब उन्हें भी समान अधिकार, समान अवसर, समान पारिश्रमिक मिलेगा जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इन विधेयकों के प्रावधानों के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, समय से मजदूरी की गारंटी होगी। इन श्रम सुधारों से अब कंपनियों को कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी और मेडिकल फेसिलिटी देना अनिवार्य हो जाएगा। इन विधेयकों के तहत श्रमिकों को वेतन, सामाजिक व स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सकेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने लगभग 40 से अधिक श्रम कानूनों को चार में ही समाहित कर दिया। पहले श्रम कानूनों की अलग-अलग परिभाषा, अलग प्राधिकार आदि होते थे लेकिन अब सबको समाहित किया जाएगा जिससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

प्रधानमंत्री जी ने श्रम कानूनों को सरल बनाकर एक ओर जहां श्रमिकों को कानूनों के जाल से मुक्ति दिलाई, वहीं दूसरी ओर देश के संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अधिकारों को भी सुनिश्चित किया। इतना ही नहीं, ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं जिन्होंने आजादी के बाद पहली बार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी पेंशन का प्रावधान किया। श्रम कानूनों के सरलीकरण का लक्ष्य कानूनों के अनुपालन में सुविधा और 'ईज ऑफ डूइंग' बिजनेस को बेहतर करना है, ताकि रोजगार में वृद्धि हो। हम श्रमिकों की चिंता करने वाले एवं उनके उत्थान के लिए कटिबद्ध होकर काम करने वाले दूरद्रष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं।